**बिहार सरकार**
**उद्योग निदेशालय**

पत्रांक 77/आवंटन/        पटना, दिनांक 3.1.19

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 22/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101– हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड–23-2851.00.104.0101, के विषय शीर्ष 0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना के लिए रू0 670.622 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 02 दि0 01.01.2019 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विषय शीर्ष 0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से रू0 **670.622 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार दो सौ रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड–23-2851.00.104.0101, के विषय शीर्ष 0101.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

5 राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

7 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 02, दिनांक 01.01.2019 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन
3/1/19
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 77/आवंटन/ पटना, दिनांक 3.1.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना

ज्ञापांक 77/आवंटन/ पटना, दिनांक 3.1.19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

3.1.19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना